न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा0 प0 संख्या 113/2020

पूर्णमल पुत्र दुला जाति माली निवासी नवोडी कोठी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर ।

–प्रार्थी–

बनाम

1. गणपत पुत्र दौला (फौत)
1/1. नागरमल पुत्र गणपत
1/2. परमेश्वर पुत्र गणपत
1/3. घीसी देवी पुत्री गणपत
1/4. प्रभाती देवी पुत्री गणपत
1/5. बिदामी देवी पुत्री गणपत
1/6. बसन्ती देवी पुत्री गणपत
1/7. संतोष देवी पुत्री गणपत
2. भवंरलाल पुत्र मोतीराम
3. मोहनलाल पुत्र मोतीराम समस्त जाति माली निवासीगण नवोडी कोठी राधाकिशनपुरा तहसी व जिला सीकर
4. हल्का पटवारी राधाकिशनपुरा
5. उप पंजिरक सीकर
6. भूमि धारी तहसीलदार, सीकर
7. प्रबंन्धक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर मुख्य शाखा सीकर
8. प्रबन्धक बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सीकर
9. गीता देवी पत्नि परमेश्वर जाति माली निवासी वार्ड नं0 37 नवोडी कोढी पुरोहितजी की ढाणी सीकर तहसील व जिला सीकर
10. संतोष देवी पत्नि नागरमल सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 37 नवोडी कोठी, पुरोहितजी की ढाणी सीकर तहसील व जिला सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

उपस्थित –वकील प्रार्थी– श्री रामेश्वरलाल बिजारणिया
वकील अप्रार्थीगण – श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत

निर्णय

दिनांक : 28/10/22

वकील प्रार्थी ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1790/691, 1791/691 एंव 690 किता 3 कुल रकबा 0.9300 है0 अवस्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के नाम दर्ज है। ग्राम राधाकिशनपुरा के खसरा नम्बर 1794/694, 1795/694, 1796/695, 1797/695 एवं 693 किता 5 कुल रकबा 1.50 है0 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम राधाकिशनपुरा के खसरा नम्बर 1792/692, 1793/692 किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता के नाम दर्ज है जिनका स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के संयुक्त कब्जे काश्त व हक अधिकार की भूमि पुराने खसरा नम्बर 217/1 रकबा 3 बीघा, 217/2 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, 217/3 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा थी जिसके नये खसरा नम्बर 692 से 695 सेटलमेण्ट के दौरान कायम किये गये। प्रार्थी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के हक अधिकार की भूमि पुराने खसरा नम्बर 217/2 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 690 व 691 किता 2 रकबा 0.93 है0 कायम हुऐ परन्तु वे अपने पूर्व के कब्जे काश्त की भूमि 4 बीघा 3 बिस्वा को है0 में परिवर्तन करने पर 1.03 है0 होती है पर काबि... है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1794/694 रकबा 1.38 है0 में से 1.03 है0 पूर्वी तरफ काबिज काश्त है, परन्तु सेटलमेण्ट के दौरान इसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई तथा उनकी हमारे नाम दर्ज कर दी गई। अतः प्रार्थी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को 194/694 रकबा 1.03 है0 एवं 693 रकबा 0.01 है0 का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे एवं अप्रार्थी संख्या 1 का नाम हजफ किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्यां 1 ता 3 व 9 ता 10 जरिये वकील उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 , 9 व 10 की

Scanned with Oken Scanner

ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ता 8 उपस्थित नहीं रहे इसलिये इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने जवाब प्रस्तुत किया। अपने जवाब में प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 217/2 को छोड़कर खसरा नम्बर 217/3 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी एकाकी दीना पुत्र चन्द्रा के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित रही है। इसमें कभी भी हणमान व दुल्ला की खातेदारी नहीं रही ना ही प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तथा 9 व 10 का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। खसरा नम्बर 217/1 रकबा 3 बीघा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता हणमान की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि रही है। जिसके जमाबंदी सम्वत 2026 से 28 का अवलोकन से देखा जा सकता है। 217/3 पर कब्जा काश्त एकाकी रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के पिता तथा उनके स्वर्गवास के बाद मेरा चला आ रहा है। खसरा नम्बर 1794/694 रकबा 1.38 है0 में पूर्व की ओर अप्रार्थी संख्या 1 व 9व 10 का कब्जा काश्त है। जो पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। सेटलमेण्ट के दौरान खातेदारी गलत दर्ज होने का कथन गलत है।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन, जवाब आवेदन रही। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । वकील अप्रार्थीगण ने दोनों पक्षों का पाबन्द करने पर अपनी सहमती प्रदान की है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य विवाद का निस्तारण विधिवत तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। इसलिये उभयपक्षों का भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजियात ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1790/691, 690, 1792/692, 1794/694, 1796/695 एवं 693 पर तादौराने दावा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

नर्णय आज दिनांक 28/10/2021 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner